Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं में हैड कानिस्टेबल को 20,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुये पकड़ा गया।

जयपुर, 15 नवम्बर, 2025। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **आरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि० न० 2549, पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं को 20,000/–** रूपये रिश्वत राशि लेते हुये पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी व उसके भाई व चाचा के विरुद्ध पुलिस थाना बुहाना में आपसी विवाद का प्रकरण दर्ज है जिसका अनुसंधान श्रीमती संतोष हैड कानि० न० 2549 द्वारा किया जा रहा था। आरोपिया संतोष हैड कानि ने परिवादी व उसके भाई का नाम हटाने व परिवादी के भाई को बन्द नही करने की एवज में 30,000/– रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। प्राप्त शिकायत पर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपिया संतोष हैड कानि ने परिवादी से दिनांक 10.11.2025 को 3000/– रुपये, दिनांक 14.11.2025 को 7,000/– रुपये ले लिये। रिश्वत मांग के अनुशरण में आज दिनांक 15.11.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया जिसमें अरोपिया श्रीमती संतोष हैड कानि ने परिवादी से 20,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई स्वेटर की दाहिनी जेब में रख लिये जहां से रिश्वत राशि 20,000/– रुपये बरामद हो चुकी है। मौके पर अग्रीम कार्यवाही जारी है।

जिस पर ए.सी.बी. जयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. झुंझुनूं के **श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही जारी है।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।